भारत में दिव्यांगों की स्थिति दषा एवं दिषा

डॉ0 चन्दन कुमार

अणुडाक– chandankumar621988@gmail.com

संपूर्ण आलेखः(Full Paper) – मुख्य आयुक्त का कार्यालय, दिव्यांगजन की स्थापना, पूर्ववर्ती निषक्त (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 57 (1) के अंतर्गत की गयी है और यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 47 के तहत कार्य कर रहा है। मुख्य आयुक्त को दिव्यांगों के लिए राज्य आयुक्तों के कार्य का समन्व्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग पर निगरानी और दिव्यांगों के अधिकारों तथा उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं के संरक्षण के लिए उपाय करने के कार्य सौंपे गए हैं।

मुख्य आयुक्त अपनी स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यक्ति के आवेदन पर अथवा अन्यथा दिव्यांगजनों के अधिकारों के हरण अथवा दिव्यांगजनों के कल्याण और अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए या जारी किए गए नियमों, उपनियमों, निवियमों, कार्यकारी आदेषों, दिषानिर्देषों या अनुदेषो इत्यादि के कार्यान्वयन नहीं करने से संबंधी षिकायतों की जांच करते है और संबंधित प्राधिकारियों से मामले को उठाते हैं। दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त इस तरह की किसी भी गैर अनुपालन की अपनी ओर से भी नोटिस ले सकते है और संबंधित प्राधिकारी से मामले को उठा सकते हैं दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त को अपना कार्य प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाने के लिए एक सिविल कोर्ट की कतिपय शक्तियां दी गयी है।

आयुक्त का कार्यालय दिव्यांगजनों के विवादों का निपटारा करने के लिए एक सुलभ और उपायुक्त स्थान है। मुख्य आयुक्त के सामने अधिकतर कार्रवाई रोजगार, पदोन्नति अथवा सेवा से संबंधित मामलों के होते है। याचिकाकर्ताओं को जो राहत प्रदान की जाती है उसमें उनके नौकरियों में पुनः वापसी के दिषा–निर्देष और उनके अधिष्ठापनों को यह सलाह दी जाती है कि दिव्यांगजनों के विरूद्ध भेदभाव न किया जाए शामिल है। 2017–18 के दौरान दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त कार्यालय में 32.255 मामलों को पंजीकृत किया गया और दिसम्बर 2017 के अत तक 33.526 मामलों का निपटारा कर दिया गया। 1729 मामले प्रक्रियाधीन है।

मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन ने 17–18 मई 2017 में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई जिसमें राज्यों के दिव्यांगजन विभागों ने भाग लिया। उन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के विविध प्रावधानों और केन्द्रीय स्कीमों और कार्य{मों की जानकारी दी गई। राज्य आयोगों से यह अनुरोध किया गया कि वे दिव्यांगजनों के अधिकारों का संरक्षण

और उनके संवर्धन के लिए कार्य करें और राज्य के विभिन्न विभागों की निगरानी करें।

राष्ट्रीय न्यास की सीापना दो मूलभूत कर्तव्यों–विधिक और कल्याण को निभाने के लिए की गई है। विधिक कर्तव्य स्थानीय स्तर समिति के माध्यम से और विधिक अभिभावकत्व प्रदान करके निभाए जाते हैं। कल्याण कर्तव्य स्कीमों के माध्यम से निभाएं जाते है। राष्ट्रीय न्यास, अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगजन को समान अवसर प्रदान करने अधिकारों का संरक्षण करने और पूर्ण भागीदारी में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय न्यास स्वैच्छिक संगठन, दिव्यांगजनों के संघ और दिव्यांगजनों के माता–पिता के संघ को पंजीकरण प्रदान करता है। नई स्कीम प्रबंधन प्रणाली में देष में राष्ट्रीय न्यास के लगभग 682 पंजीकृत संगठन है।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत एक स्थानीय स्तर समिति देष के प्रत्येक जिले में तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक बोर्ड द्वारा इसका पुनर्गठन नहीं किया जाता, गठित की जानी अपेक्षित है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।

- संघ या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या किसी जिले के जिला आयुक्त के रैक से नीचे का नही हो।
- राष्ट्रीय न्यास के पास पंजीकृत किसी संगठन का एक प्रतिनिधि और
- निःषक्तजन अधिनियम 1995 (1996 का 1) की धारा के खंड न में यथापरिभाषित दिव्यांगजन

स्थानीय स्तर समिति का कार्य विधिक संरक्षको की जांच, नियुक्ति और निगरानी करना है। स्थानीय स्तर समिति जागरूकता सृजन, अभिसरण और दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में शामिल किए जाने जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करती है। अभी तक, देष के लगभग सभी जिलों (जम्मू और कष्मीर राज्य को छोड़कर) को शामिल करते हुए 680 स्थानीय स्तर समितियां गठित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धारा 14–17 स्थानीय स्तर समिति द्वारा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को दिए जाने वाले संरक्षण की व्याख्या करती है। संरक्षण एक आवष्यकता आधारित समर्थकारी प्रावधान है। संरक्षण प्रयोजनों के लिए प्रदान किया जाता है।

1 अनुरक्षण और आवासीय देखभाल

2 अचल संपति का प्रबंधन

3 चल संपति का प्रबंधक

4 कोई अन्य

राज्य स्तर पर इस स्कीम की प्रभावी कार्यान्वयन सहित, राष्ट्रीय न्यास की सगतिविधयों के

कार्यान्वयन और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने एवं संपर्क बनाने के लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक प्रतिष्ठित एनजीओ को राज्य नोडल अभिकरण केंद्र के रूप में नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में पूरे देष में 34 एसएनएसी हैं और इसकी सूची हमारे वेबसाइट लिंक http://www.thenationaltrust.gov.in/content/registered_organization.php पर दी गई है। राष्ट्रीय न्यास, संस्थातगत गतिविधियां चलाने तथा ट्रस्ट की स्कीमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए पंजीकृत संगठनों के साथ बैठक करने, अन्य एनजीओ के साथ नेटवर्क बनाने और स्थानीय स्तर समितियों और राज्य स्तरीय समन्वय समितियों इत्यादि के साथ बैठक के लिए निधि प्रदान करता है। वर्ष 2017–18 के दौरान 31.12.2017 तक 4064312/– रूपए की राषि एसएनएसी को जारी की गई है।

राष्ट्रीय न्यास के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। विकलांगता संबंधी कार्य की देखरेख करने वाले राज्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष होते है ओर संबंधित एसएनएसी इसके संयोजक होते हैं। अबतक 26 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में एसएलसीसी का गठन कर दिया गया है।

(1) दिषा (शीघ्र हस्तक्षेप और 0–10 वर्ष के लिए विद्यालय तैयारी स्कीम)– यह राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत शामिल चार निःषक्तताओं वाले 0–10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक शीघ्र हस्तक्षेप और विद्यालय तैयारी स्कीम है और इसका उद्देष्य उपचारों, प्रषिक्षणों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप हेतु दिषा केन्द्रों की स्थापना करना और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करना है। आरओ द्वारा आयु विषिष्ट गतिविधियों के साथ–साथ दिन में कम से कम 4 घंटे पूर्वाहन 8 बजे से अपराहन 6 बजे के बीच दिव्यांगजनों के लिए एक विषेष षिक्षक या शीघ्र हस्तक्षेप उपचारकर्ता फीजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपपेषनल थेरेपिस्ट और परामर्षदाता होने चाहिए। स्कीम के तहत एककालिक स्थापना निधि अनुदान 1.55 लाख रूपए और मासिक अनुदान 45 हजार रूपए प्रति दिव्यांग है तथा अधिकतम एक हजार रूपए तक मासिक यातायात भत्तों के साथ प्रति पात्र लाभार्थी को लाभ प्रदान किया जाता है।

इसमें 115 दिषा केन्द्र है जिनमें 6747969663/– जारी किए गए है। इसमें 20 केन्द्रों की स्वीकृति और 2017–18 के दौरान 31.12.2017 तक 31141611/– रूपए की निर्मुक्ति शामिल है।

(2) यह दिव्यांगजनों के लिए जबकि वे उच्चतर आयु वर्गों में शामिल होने की स्थिति में हो, अंतवैयक्तिक और व्यावसायिक कौषलों को बढ़ाने हेतु मुख्यतया उन्हें उपलब्ध अवसरों के दायरे को बढ़ाने के लिए एक दिवस देखभाल स्कीम है। जिस समय के दौरान दिव्यांगजन विकास केन्द्र में होंगे, केन्द्र उन्हें दिवस–देखभाल सहायता भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले

दिव्यांगजनों के परिवार के सदस्यों को अन्य जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए दिन के दौरान कुछ समय प्रदान करने के लिए समर्थन देने में भी मदद करता है। परियोजना धारक द्वारा आयु विषिष्ट गतिविधियों के साथ–साथ दिन में कम से कम 6 घंटे पूर्वाहन 8 बजे से अपराहन 6 बजे के बीच के लिए दिवस देखभाल सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। दिवस देखभाल सुविधा एक माह में कम से कम 21 दिन खुली होनी चाहिए। स्कीम के तहत एककालिक स्थापना निधि का अुनदान 1.95 लाख रूपए और मासिक अनुदान 3850/– रूपए प्रति दिव्यांग है तथा अधिकतम एक हमार रूपए तक मासिक यातायात भत्तों के साथ प्रति पात्र लाभार्थी को लाभ प्रदान किया जाता है।

इसमें 124 केन्द्र है जिनमें 109399881/– रूपए जारी किए गए है। इसमें 17 केन्द्रों की स्वीकृति और 2017–18 के दौरान 31.12.2017 तक 41410650/– रूपए की निर्मुक्ति शामिल है।

(3) समर्थ स्कीम का उद्देष्य अनाथों या परित्यक्तों संकट में फंसे परिवारों तथा साथ ही राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के दायरे में आने वाले निराश्रितों समेत गरीबी रेखा से नीचे के एवं निम्पन आय वर्ग के परिवारों से संबंधित दिव्यांगों को राहत गृह प्रदान करना है। यह परिवार के सदस्यों के लिए भी अवसरों के सृजन का उद्देष्य रखती है ताकि उन्हें अन्य जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए राहत समय मिल सके। यह स्कीम सभी आयु वर्गो के लिए पेषेवर चिकित्सको द्वारा मूलभूत चिकित्सा देखभाल के उपबंध समेत स्वीकार्य जीवन स्तरों के साथ पर्याप्त और गुणवतापूर्ण देखभाल सेवा वाली सामूहिक गृह सुविधा प्रदान करने हेतु समर्थ केन्द्रों की स्थापना करने का भी उद्देष्य रखती है। कार्यकेन्द्र का भी प्रावधान है। प्रति लाभार्थी मासिक अनुवर्ती अनुदान 7000/– रूपए है।

इसमें 45 समर्थ केन्द्र है जिनमें 56232414/– रूपए जारी किए गए हैं। इसमें 11 केन्द्रों की स्वीकृति और 2017–18 के दौरान 31.12.2017 तक 27297935/– रूपए की निर्मुक्ति शामिल है।

(4) घरौंदा स्कीम का उद्देष्य ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं वाले व्यक्तियों को एक सुनिष्चित गृह और पेषेवर चिकित्सकों द्वारा मूलभूत चिकित्सा देखभाल के उपबंध समेत स्वीकार्य जीवन स्तरों के साथ पर्याप्त और गुणवतापूर्ण देखभाल सेवा वाली न्यूनतम देखभाल सुविधाएं प्रदान करना है। घरौंदा केन्द्र द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां, पूर्व व्यावसायिक गतिविधियां और आगे प्रषिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

इसके अलावा 2.90 लाख रूपये की एककालिक स्थापना निधि के अलावा 10 हजार प्रति दिव्यांगजन की मासिक अनुवर्ती अनुदान 10 लाख रूपये की संकट निधि और

25000 से 100000 रूपये तक की कार्य केन्द्र स्थापना हेतु निधि होगी।

इसमें 50 घरौंदा केन्द्र है जिनमें 75521999/– रूपए जारी किए गए है। इसमें 14 केन्द्रों की स्वीकृति और 2017–18 के दौरान 31.12.2017 तक 35421999/– रूपए की निर्मुक्ति शामिल है।

(5) यह स्कीम ऑटिज्क प्रमस्तिष्क अंगघात मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं वाले व्यक्तियों को वहनीय स्वास्थ्य बीमा प्रदानप करने के लिए है। नामांकित लाभार्थी मामूली शुल्क अदा करे एक लाख रूपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त करते हैं। प्रगति का विवरण निम्नानुसार हैः–

(6) इस योजना का उद्देष्य दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को जिन्हें देखभाल की आवष्यकता होती है, पर्याप्त और पोषक देखभाल प्रदान करने के लिए देखभालकर्ताओं को प्रषिक्षण प्रदान करने और एक इनका एक कौषलयुक्त कार्यबल बनाने हेतु देखभालकर्ता प्रकोष्ठों सीजीसी की स्थापना करना है। यह माता–पिताओं को यदि वे चाहें, देखभाल करने के कार्य में प्रषिक्षित होने का अवसर प्रदान करने का भी प्रयास करता है। यह स्कीम ऐसे देखभालकर्ताओं को बनाने के लिए जो दिव्यांगजनों के परिवारों तथा दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने वाली संस्थाओं गैर सरकारी संगठनों कार्य केन्द्रों इत्यादि दोनों के साथ कार्य कर सकने लायक हो, प्राथमिक और उच्च दो स्तर के पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रषिक्षण का विकल्प प्रदान करेगी।

प्राथमिक पाठयक्रम के लिए 4200 प्रति प्रषिक्षक की और उच्च पाठयक्रम के लिए 8000 रूपये की प्रषिक्षण लागत का प्रावधान है। साथ ही इस स्कीम में प्राथमिक के लिए 5000 रूपए और उच्च पाठयक्रम के लिए 10000 रूपये की दर से प्रषिक्षुओ हेतु अध्येतावृति को भी लागू किया गया है।

इसमें 56 सहयोगी केन्द्र स्वीकृत किए गए है और 14157750/– रूपए की राषि जारी की गई है। इसमें 17 केन्द्रों की संस्तुति और 31.12.2017 तक 2017–18 के दौरान 9475750/– रूपए की जारी राषि शामिल है। प्रगति का विवरण निम्नानुसार हैः–

(7) ज्ञान प्रभा – ज्ञान प्रभा स्कीम ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं वाले लोगों को स्नातक पाठयक्रमों, पेषेवर पाठयक्रमों और व्यावसायिक प्रषिक्षणों का जिनसे रोजगार या स्वरोजगार मिलता है, अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजन को प्रति पाठयक्रम एक विषिष्ट धनराषि प्रदान करेगा जिसके अंतर्गत सामान्यतया शुल्क, परिवहन, पुस्तकें, स्वयं वहनीय खर्च ओपीई इत्यादि आएंगे।

इस स्कीम के तहत बहुत से पाठयक्रम शामिल किए गए है। स्कीम में पाठयक्रम

शुल्क परिवहन, पुस्तके, स्वयं वहनीय खर्च सहित विषिष्ट पाठयक्रमों के लिए नियत आवर्ती राषि होगी। इसके अतिरिक्त 20000 रूपये प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति की उच्चतम सीमा तक परिवहन भता होगा।

इस स्कीम के तहत 12 दिव्यांगजनो को 538435/– रूपए की निर्मुक्ति किए गए है। इसमें 2017–18 के दौरान 31.12.2017 तक 4 दिव्यांगजनों को दी गई 334906/– रूपए की राषि शामिल है। प्रगति का विवरण नियमानुसार हैः–

(8) विपणन सहायता– प्रेरणा राष्ट्रीय न्यास की एक विपणन सहायता स्कीम है जिसका उद्देष्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों और सेवाओं के विक्रय के लिए व्यवहार्य और व्यापक चैनलों का सृजन करना है। यह स्कीम दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए प्रदर्षनियों, मेलों इत्यादि जैसे आयोजनों में भाग लेने के लिए निधियां प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह स्कीम दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विक्रय टर्नओवर के आधार पर पंजीकृत संगठनों आरओ को प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजनों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों और सेवाओं के विपणन और विक्रय के लिए मेलों, प्रदर्षनियों इत्यादि जैसे राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के आयोजनों में आरओ की प्रतिभागिता के लिए निधियां प्रदान करेगा। किंतु इन कार्य केन्द्रों के कम से कम 51 प्रतिषत कर्मचारी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजन होने चाहिए।

योजना को 6 पंजीकृत संगठनों के लिए स्वीकृत किया गया है। इसमें 2017–18 के दौरान 31.12.2017 तक स्वीकृत किए गए 4 पंजीकृत संगठन शामिल है।

(9) सहायक यंत्र और सहायक डिवाइसे– यह युक्तियों के प्रदर्षन के प्रावधान के साथ विकसित सहायताओं सॉफ्टवेयर तााि अन्य प्रकार की सहायक युक्तियों की तुलना और संग्रहण करने के लिए 5 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 2011 की जनगणना के अनुसार देष के प्रत्येक नगर में एक–एक अतिरिकत संसाधन केन्द्र सीापित करने की स्कीम है। इस स्कीम में राष्ट्रीय न्यास के वेबसाइट पर संभव केन्द्र पर उपलब्ध सहायताओं और सहायक युवतियों से संबंधित सूचनाओं का रखरखाव किया जाना भी शामिल है। इन केन्द्रों का लक्ष्य राष्ट्रीय न्यास की निषक्तताओं वाले दिव्यांगजनों की खुषहाली और सषक्तिकरण के लिए सूचनाएं प्रदान करना और युक्तियों उपकरणों, सहायताओं, सॉफ्टवेयर इत्यादि को आसानी से उपलब्ध कराना है। पूर्व में दिल्ली में एक गैर सरकारी संगठन को संभव केन्द्र चलाने के लिए पहचाना गया था। अब इसे स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया है। अभी कुछ समय पहले दिल्ली में एक एनजीओ सम्भव केन्द्र चलाने के लिए अभिज्ञात किया गया था। अब यह स्कीम में परिवर्तित किया गया है।

(10) जागरूकता और सामुदायिक विचार–विमर्ष– यह स्कीम राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों आरओ को ऐसी गतिविधियां करने में मदद करेगी जो राष्ट्रीय न्यास विकलांगताओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने पर केन्द्रित हो। स्कीम का उद्देष्य सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना, संवेदीकरण, दिव्यांगजनों का सामाजिक एकीकरण और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है। राष्ट्रीय न्यास प्रति वर्ष प्रत्येक आरओ के लिए अधिकतम 4 आयोजन को प्रायोजित कर सकता है। स्कीम दिव्यांगों के बेहतर गुणवतापूर्ण जीवन के लिए लाभदायक किसी नूतन परियोजना की भी शुरूआत को भी सहायता प्रदान करती है।

ठसमें 124 आरओ स्कीम में पंजीकृत किए गए है जिसमें कुल व्यय 7934434/– रूपए जारी किए गए है। इसमें 21 आरओ को प्रदान की गई स्वीकृति शामिल है और 2017–18 से 31.12.2017 तक जारी की गई 1006341/– रूपए की जारी राषि शामिल है। प्रगति का विवरण निम्नानुसार हैः–

(क) ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्ति अपने जीवन के विविध क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करते है। अतः कई देषों में लोगों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर के बारे में षिक्षित करने और ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करने के बड़े स्तर पर पहले की गई है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 2 अप्रैल को विष्व ऑटिज्म दिवस घोषित किया और 2008 से 2 अप्रैल को संपूर्ण विष्व में ऑटिज्म जागरूता दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि आम लोगों में ऑटिज्म के प्रति जागरूकता पैदा हो सके।

सम्मेलन को मनाने के लिए राष्ट्रीय न्यास ने विज्ञान भवन के प्लीनरी हॉल, नई दिल्ली में 03.04.2017 को ऑटिज्म पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उदघाटन श्री थावरचंद गहलोत, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्री रामदास अठावले और श्री कृष्णपाल गुर्जर राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों और ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों के माता–पिता की उपस्थिति में किया। 1200 से अधिक लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर ऑटिज्म पर जागरूकता फेलाने के लिए राष्ट्रीय न्यास और रोटरी क्लब के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान–प्रदान किया गया और राष्ट्रीय न्यास के तीन प्रकाषनों ए विन्डो टू ऑटिजम, ऑटिजम द फैक्टस और नेषनल ट्रस्टस स्कीम बुक विमोचित की गई।

राष्ट्रीय न्यास की समावेषी भारत पहल को 06 जून 2017 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में शुरू किया गया। दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सतत विकास लक्ष्यों और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के लक्ष्यों के साथ पहल का उद्देष्य विद्यालयों महाविद्यालयों, सामुदायिक स्थलों और कार्यस्थलों पर ऑटिजम प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मन्दता और बहु अपंगता से ग्रस्त व्यक्तियों

की पूर्ण सहभागिता को सुनिष्चित करवाना है। समावेषी भारत स्कीम में चुने गए 03 तत्व है समावेषी षिक्षा समावेषी रोजगार और समावेषी सामुदायिक जीवन।

ख. देष के 18 स्थानों नामत दिल्ली, बेगलुरू, गुनतुर, जोरहट, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, कन्याकुमारी, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी, पटना, रायगढ़, अहमदाबाद, उदयपुर, धनबाद, भोपाल, भुवनेष्वर और होषियारपुर में 13.08.2017 को समावेषी स्वतंत्रता दिवस का आयोजन।

ग. समावेषी भारत समिट विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 12 सितम्बर 2017 को आयोजित किया गया जिसमें डॉ0 थावर चंद गहलोत, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्रीमती स्मृति ईरानी, माननीया मंत्री सूचना और प्रसारण और वस्त्र, श्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्री विनय सहस्त्राबुद्धे, माननीय सांसद, राज्यसभा ओर सुश्री ईरा सिंघल 2014 की यूपीएससी की टॉपर और इस विभाग की बांड अम्बेस्डर ने षिरकत की श्री विवेक ऑबराय, सिने अभिनेता, श्री यूरी अफनासिएव, यूएन रेजिडेंट को–ऑर्डिनेटर श्रीमती दीपा मलिक 2016 की पैरा ओलम्पिक चैम्पियन, श्री शेखर नाईक, भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम, री मुजफ्फर अली, भारतीय फिल्म मेकर और कवि ने भाग लिया।

भारतीय पुनर्वास परिषद को शुरू में 31 जुलाई 1986 के संकल्प संख्या 22717/83 एच डब्ल्यू–3 के तहत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का 21 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। संसद में पारित एक अधिनियम नामतः भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 की सं. 34 दिनांक 1 सितम्बर 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। वर्ष 2000 में इस अधिनियम को अधिक व्यापक आधार वाला बनाने के लिए इसमें संषोधन किया गया। परिषद पुनर्वास और विषेष षिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिकों व कार्मिको के प्रषिक्षण कार्य{मों को विनियमित और मॉनिटर करने एवं पुनर्वास और विषेष षिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने और केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर के रखरखाव के लिए जिम्मेवार है।

घ. 680 संस्थानों और 14 राज्य खुले विष्वविद्यालयों को आरसीआई से अनुमोदित पाठयक्रमों को चलाने का अनुमोदन प्राप्त हुआ है जिसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, बैचलरस, मास्टर्स, एम फिल और सायको डी. स्तर शामिल है। वर्ष के दौरान 57 नए संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

च. केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर में 4990 व्यवसायिको और 4851 कार्मिकों को पंजीकृत किया गया और सीआरआर में संचयी कुल 31.12.2017 को 126737 पहुंच गया है।

छ. 580 सतत पुनर्वास षिक्षा कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की गई और 232 सेमिनारों/वर्कषॉप्स को सीआरई स्तर प्रदान किया गया है। इसके अलावा दिव्यांगजन विभाग के तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय संस्थानों को 123 लघु अवधि

वाले कार्यक्रमों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

ज. केन्द्रीय और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं के सेवाकालीन प्रषिक्षण और संवेदनषीलता के लिए केन्द्रीय सेक्टर प्लान योजना।

दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपने दिनांक 29.12.2014 के पत्र संख्या 16–07/2013/ डीडी–3 के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना के अधीन अपनीयोजनगत स्कीम नामतः केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा अन्य सेवा प्रदाताओं के मुख्य पदाधिकारियों का सेवाकालीन प्रषिक्षण और संवेदनषीलता के कार्यान्वयन हेतु भारतीय पुनर्वास परिष को नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देष्य राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर की कार्यषाला के माध्यम से विकलांगता संबंधी मामलों पर केन्द्रीय, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा अन्य सेवा प्रदाताओं को नियमित आधार पर कर्मचारियों एवं सहकर्मियों में जागरूकता उत्पन्न करने की दिषा में विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में कार्यस्थल पर एक समवेषी वातावरण बनाने हेतु प्रषिक्षित करना और उन्हें संवेदनषील बनाना है।

इस वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को परिचालित करने के लिए परिषद द्वारा हिंदी भाषा में ई–प्रषिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है।

सचिव डीईपीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में 6 दिसम्बर 2017 को 5वीं निधि मंजूरी प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई थी। वह आरपीडी अधिनियम 2016 के अनुसार अपनी अवधि, प्रषिक्षण सामग्री के संबंध में चल रही योजना की समीक्षा करना चाहती है, जिसके लिए परिषद द्वारा आवष्यक कार्रवाई की जा रही है।

परिषद ने अपनी प्रभावषीलता को सुनिष्चित करने के लिए चल रही योजना का प्रभावी आकलन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

झ. दूरस्थ षिक्षा केन्द्र, विषेष षिक्षा में दूरस्थ षिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए परिषद द्वारा वर्ष 2001 में दूरस्थ षिक्षा सेल स्थापित किया गया था। प्रथम समझौता ज्ञापन आरसीआई एवं मध्य प्रदेष भोज मुक्त विष्वविद्यालय भोपाल के बीच हस्ताक्षर किया गया था। जिससे कि दूरस्थ पद्धति के माध्यम से बीएड, एसइडीई पाठयक्रम संचालित किए जा सके और आज दूरस्थ पद्धति के माध्यम से पाठयक्रम कराने हेतु निम्नलिखित 12 विष्वविद्यालयों के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान केन्द्रीय विष्वविद्यालय पूर्वोतर पर्वतीय यूनिवर्सिटी षिलांग के साथ समझौता ज्ञापन को विस्तारित किया गया है और सदस्य सचिव, आरसीआई द्वारा राज्य निजी विष्वविद्यालयों आईसीएफएआई, त्रिपुरा और अरूणाचल

यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज के साथ 27 मार्च 2017 को डॉ. कमलेष कुमार पाण्डेय, अध्यक्ष, आरसीआई और सीसीपीडी की उपस्थिति में एन नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आरसीआई के अधिकारियों के साथ सभी तीन विष्वविद्यालयों के रजिस्टार और अन्य अधिकारी भी समारोह के दौरान उपस्थित थे।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिषद ने बी. एड. की शुरूआत करने के लिए असम में कृष्णकांत हांडिक राज्य ओपन विष्वविद्यालय के साथ 19 मई 2017 को असम राज्य में बी. एड. स्पे, एजुकेषन, ओडीएल पाठयक्रम की शुरूआत के लिए समझौता ज्ञापवन पर हस्ताक्षर किए हैं।

पाठयक्रम की मंजूरी के लिए प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कोर कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई और निर्णय लिया गया कि पहले बैच के लिए 15 जून 2017 तक प्राप्त किए गए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। तदनुसार जांच समिति का गठन किया गया था। और 43 प्रस्तावों संस्थान को अनुमोदन जारी किया गया। 15 जून 1917 के बाद प्राप्त आवेदनों के बारे में 15 नवंबर 2017 तक प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने और जांच के बाद पात्र संस्थानों को अनुमोदन जारी करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार 34 संस्थानों पर विचार किया गया और दूसरे बैच को स्वीकृत किया गया।

यषवंतराय चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विष्वविद्यालय नासिक और आरसीआई, नई दिल्ली की शीर्ष सलाहकार समिति की बैठक क्रमषः मुम्बई और नासिक में 12 जनवरी 2017 और 30 अक्टूबर 2017 को हुई थी। तमिलनाडु मुक्त विष्वविद्यालय चेन्नई और आरसीआई, नई दिल्ली की शीर्ष सलाहकार समिति की बैठक 17 जनवरी 2017 को चेन्नई में आयोजित की गई थी। बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विष्वविद्यालय अहमदाबाद की शीर्ष सलाहकार समिति की बैठक 22 और 23 मई 2017 को अहमदाबाद में हुई थी।

वर्ष के दौरान परिषद ने एससी, एसटी और पूर्वातर के लिए विषेष घटक योजना के अधीन निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की हैः–

1 पूर्वोतर क्षेत्र में विकलांगता पुनर्वास औरा विषेष षिक्षा में मानव संसाधन कार्य{मों के लिए वित्तीय सहायता योजना।

2 आरसीआई अनुमोदित संगठनों में पूर्वोतर के तहत विषेष घटक योजना के कार्यान्वयन की योजना।

3 पूर्वोतर उप घटक योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पेषेवरों की क्षमता निर्माण पर संगोष्ठी आयोजित करने की योजना।

4 आरसीआई अनुमोदित संस्थानों में नामांकित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधित छात्रों के लिए विषेष घटक योजना जैसे टयूषन फीस की

प्रतिपूर्ति के कार्यान्वयन योजना।

5 संस्थानो/छात्रों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वितीय सहायता निधि की उपलब्धता के आधार पर मार्च 2018 के अंत तक जारी कर दी जाएगी।

6 क्षेत्रीय समन्वय समितियां

30 नवंबर 2015 को आयोजित अपनी 38वीं बैठक में जनरल परिषद, आरसीआई ने मौजूदा 7 क्षेत्रीय समन्वय समितियों सहित 14 राज्य खंडों को खोलने के लिए परिषद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तदनुसार मौजूदा 7 जेडसीसी से 14 जेडसीसी के विस्तार के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रषासनिक अनुमोदन के लिए डीईपीडब्ल्यूडी को भेजा गया था। स्वीकृति प्राप्त करने के बाद पूरे देष को कवर करने हेतु 14 जेडसीसी के गठन के लिए प्रक्रिया शुरू कर की गई है, जैसा नीचे दिया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. वसु, दूर्गादास– भारत का संविधान, एक परिचय, लेक्सिस–नेक्सिस, नई दिल्ली।

2. उपाध्याय जय–जय राम, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।

3. पाण्डेय, जय नारायण– भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।

4. प्रतियोगिता दर्पण – 2010

5. कुरूक्षेत्र– 2001

6. प्रतियोगिता दर्पण– 2011